न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 89 / 2016 जिला सीकर ।

1. घीसाराम पुत्र पोखरराम
2. बोदूराम (मृतक) जरिये
   2/1 राकेश पुत्र बाबू राम
   जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामदेव पुत्र पोखर
2. महेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम
3. सन्तरा देवी पत्नी बोदूराम
4. रामकुवार पुत्र धन्नाराम
   जाति जाट, निवासी पिपराली, तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 14.6.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हर लाल सिंह

निर्णय

दिनांक – 03.10.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 14.6.2011 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 7.11.2016 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम पिपराली , तहसील व जिला सीकर स्थिति आराजी खसरा कुल किता 9 कुल रकबा 11.98 हैक्टेयर मे से रामदेव पुत्र पोखर हिस्सा 0.75 हैक्टेयर के खातेदार ने उक्त भूमि का रजिस्टर्ड समोचन पत्र दिनांक 28.11.2002 को अपने भाई अपीलान्ट घीसा , बोदू पुत्रान पोखर के नाम तहरीर करवाया गया ओर इस समोचन पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण संख्या 950 अपीलान्ट्स घीसा व बोदू के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत पिपराली, जिला सीकर ने दिनांक 5.4.2002 को ग्रम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 के निर्णयानुसार सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.6.2011 द्वारा पंचायत की पत्रावली की फोटो प्रति के अध्ययन से पाया कि समोचन (रजिस्टर्ड) का नामांतरकरण, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया है, साथ ही समोचन ग्रहिता का कब्जा भी नहीं बताया गया था । पंचायत की पत्रावली में दिये गये आदेश में कोई गलती प्रतीत नहीं है क्योंकि इस प्रकरण का वाद विक्रय बाबत विचाराधीन था । आज भी सिविल न्यायालय के निर्णय का कोई विवरण अपील में नहीं होने से उचित एवं कानूनों के अन्तर्गत दिये पंचायत के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट अस्वीकार की है ।

उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2011 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 7.11.2016 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम नामांतरकरण स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारित करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा कुल किता 9 रकबा 11.98 हैक्टेयर में से रामदेव ने अपनी खातेदारी की भूमि 0.75 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड समोचन पत्र अपीलान्ट घीसा व बादू के नाम किया था तथा भूमि का कब्जा भी उन्हें सम्भला दिया था । पटवारी हल्का द्वारा उक्त रजिस्टर्ड समोचन पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 950 पटवारी हल्का द्वारा समोचन ग्रहिता अपीलान्ट्स के नाम भरा गया था, लेकिन ग्रम पंचायत ने दिनांक 5.4.2002 को अस्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पंजीकृत दस्तावेज में यदि भूमि का कब्जा दिये जाने का उल्लेख है तो कब्जे की जॉच अलग से किये जाने की आवश्यकता नहीं है । समोचनकर्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामदेव ने भी कोई ऐतराज नहीं किया है । उनका कहना था कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार पुत्र धन्नाराम ने एक वाद बाबत विशिष्ठ अनुपालना एवं समोचन पत्र को निरस्त करने का अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) के समक्ष किया था, जो निर्णय दिनांक 20.4.2005 से खारिज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि सिविल न्यायालय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के बाद हुआ था इसलिये अपील में उसका उल्लेख नहीं हो सकता था । सिविल न्यायालय का निर्णय अपीलाधीन आदेश से पूर्व हो चुका था एवं निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था , लेकिन उसे नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः प्रकरण के गुणावगुण एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2011 के खिलाफ दिनांक 7.11.16 को करीबन 5 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण भी कपोल कल्पित अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को प्रारम्भ से ही थी । सर्वप्रथम अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज होने योग्य है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा पंचायत कौरम में प्रस्ताव लेकर अस्वीकार किया है । ग्रम पंचायत ने समोचन पत्र के आधार पर भरे गये प्रश्नगत नामांतरकरण को, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया है तथा समोचन ग्रहिता का भूमि पर कब्जा भी नहीं होना बताया गया था । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार के पक्ष में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामदेव द्वारा विवादित भूमि का इकरारनामा बाबत बेचानगी तहरीर कराया था । विवादित भूमि पर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 का कब्जा काश्त है । उनका कहना कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार का दावा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर के निर्णय दिनांक 20.4.2005 द्वारा खारिज हो चुका है तथा इसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी.सिविल अपील संख्या 347/2005 में आदेश दिनांक 11.5.2005 पारित कर अपील को एडमिट करते हुये पक्षकारों को विवादित भूमि के संबंध में यथा स्थिति (Status quo with regard to the property in dispute shall be maintained by the parties.) बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के दृष्टिगत प्रकरण में मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामदेव पुत्र पोखर द्वारा अपने भाई अपीलान्ट घीसा व बोदू पिसरान पोखर के नाम विवादित भूमि के किये गये रजिस्टर्ड समोचन पत्र दिनांक 28.1.2002 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के नाम भरे गये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 950 को ग्रम पंचायत पिपराली द्वारा दिनांक 5.4.2002 को ग्रम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 के निर्णयानुसार सर्वसम्मति से अस्वीकार किया है तथा इसके खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2011 द्वारा पंचायत की पत्रावली की फोटो प्रति के अध्ययन से पाया कि समोचन (रजिस्टर्ड) का नामांतरकरण, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण निरस्त किया है, साथ ही समोचन ग्रहिता का कब्जा भी नहीं बताया गया था । पंचायत की पत्रावली में दिये गये आदेश में कोई गलती प्रतीत नहीं है क्योंकि इस प्रकरण का वाद विक्रय बाबत विचाराधीन था । आज भी सिविल न्यायालय के निर्णय का कोई विवरण अपील में नहीं होने से उचित एवं कानूनों के अन्तर्गत दिये पंचायत के निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट अस्वीकार की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार का दावा बाबत संविदा विशिष्ट अनुपालनार्थ एवं परिणामिक अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ एवं घोषित किये जाने शून्य एवं अवैध समोचन पत्र दिनांक 28.1.2002 न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर के निर्णय दिनांक 20.4.2005 द्वारा खारिज हो चुका है तथा इसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी.सिविल अपील संख्या 347/2005 में आदेश दिनांक 11.5.2005 पारित कर अपील को एडमिट करते हुये पक्षकारों को विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति (Status quo with regard to the property in dispute shall be maintained by the parties.) बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया है ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामदेव द्वारा रजिस्टर्ड समोचन पत्र अपीलान्ट घीसा , बोदू पुत्रान पोखर के नाम किये जाने पर इसके आधार पर भरे गये नामांतरकरण संख्या 950 को ग्रम पंचायत पिपराली द्वारा दिनांक 5.4.2002 को सर्वसम्मति से अस्वीकार किया है जिसके खिलाफ अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.6.2011 द्वारा अस्वीकार की है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार ने विवादित भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामदेव से 20 बीघा कच्ची भूमि के विक्रय बाबत किये गये इकरारनामें के संबंध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार का दावा बाबत संविदा विशिष्ठ

अनुपालनार्थ, परिणामिक अनुतोष, स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषित किये जाने शुन्य एवं अवैध समोचन पत्र न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सीकर के निर्णय दिनांक 20.4.2005 से खारिज हुआ है तथा इसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस.बी.सिविल अपील संख्या 347/2005 में आदेश दिनांक 11.5.2005 पारित कर अपील को एडमिट करते हुये पक्षकारों को विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति (Status quo with regard to the property in dispute shall be maintained by the parties.) बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । ऐसी स्थिति में हम रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 रामकुवार की एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 347/2005 में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 11.5.2005 को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं क्योंकि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 347/2005 में ही होना है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 3.10.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर